न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—133/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/133)

1. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि स्व0 शंकरलाल
2. पवन कुमार पुत्र स्व0 शंकरलाल
   जाति ब्राहमण, निवासी करकेडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. बद्री शर्मा पुत्र स्व0 छीतरलम निवासी करकेडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर हाल निवासी आजाद नगर 12 क्वार्टर के पास मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

3. नृसिंह पुत्र स्व0 मूलाराम
4. राधेश्याम पुत्र स्व0 मूलाराम
5. रेखा पुत्री स्व0 शंकरलाल
6. मोना पुत्री स्व0 शंकरलाल
7. आरती पुत्री स्व0 शंकरलाल
8. पिंकी पुत्री स्व0 शंकरलाल
9. श्रीमती गुलाबदेवी पत्नि स्व0 नन्दा
10. कंचन पुत्री स्व0 नन्दा (तलबी बंद 16.01.2024)
11. अंकित पुत्र स्व0 नन्दा
12. दीपक पुत्र स्व0 नन्दा
13. मोहित पुत्र स्व0 नन्दा
    जाति ब्राहमण, निवासी करकेडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।

प्रोफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 199/2014.

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री योगेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 9 व 11 से 13 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—20.03.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 199/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट्स एवं राज्य सरकार प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया। दावे एवं जवाब दावे के आधार पर कुल 3 तनकीयात कायम की गई तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से गवाह प्रस्तुत किए गए तथा दिनांक 26.2.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद डिक्री कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 199/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 से 9 व 11 से 13 अनुपस्थित।

अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि दिनांक 19.4.2021 से 8.6.2021 तक सम्पूर्ण राजस्थान में कोविड 19 के कारण लोकडाउन स्थापित होने के कारण सभी न्यायिक कार्य बन्द रहे जिस कारण प्रार्थीगण समयावधि में उक्त अपील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाये। राज्य सरकार की गाईड लाईन के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय में आंशिक काम काज चालू किया गया है जिसके तहत अविलम्ब उपरोक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील प्रस्तुत किए जाने में पर्याप्त एवं सदभाविक कारण होने से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 4/अपीलांट्स द्वारा अपने जवाब दावे में पूर्ण रूप से वादग्रस्त आराजीयात में अपना 1/4 हक हिस्सा निहित होना जरिए दस्तावेज साबित किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे को नजरअंदाज करते हुए अदृश्य रूप से वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को लाभ प्रदान करने की नियत से आदेश पारित किया है। अपीलांट्स क पति/पिता शंकरलाल को गैना पुत्र शिवलाल ने हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया था जिसका अंकन भाट की वही के अनुसार सिद्ध होता है तथा अपीलांट्स के पिता/पति के सरकारी दस्तावेज कंडेक्टर लाईसेंस में भी अपीलांट्स के पिता/पति की वल्दीयत में शंकरलाल पुत्र गूनाराम दर्ज है तथा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ को मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन में भी शंकरलाल पुत्र गूनाराम लिखा हुआ है तथा राजस्व रिकार्ड में भी शंकरलाल पुत्र गूनाराम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर कुल 3 तनकीयात कायम की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकीयों का विस्तृत निर्णय पारित नहीं कर केवल यह अंकित करते हुए कि तनकी को साबित करने का भार वादी पर है इस बाबत् वादी ने साक्ष्य अधिनियम सम्बन्धी न्याय, निर्णय पेश किये। इस प्रकार उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रकरण के मुख्य बिन्दुओं को विस्तृत रूप से निर्णित नहीं कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट्स के कब्जे काश्त बावत् तथा गुनजी के शंकरलाल के विधिक रूप से गोद जाने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं के साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाना अंकित किया जबकि अपीलांट्स द्वारा शंकरलाल के गुनजी के गोद जाने बाबत् जवाब दावे में भी कथन किया है तथा गोद को साबित करने के बाबत् शंकरलाल पुत्र गुनजी से सम्बंधित दस्तावेज जिसमें राशन कार्ड, कंडेक्टर लाईसेंस आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये थे जिससे सिद्ध होता है कि शंकरलाल गुनजी का गोद पुत्र था। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गुनजी के विरासती नामांतरकरण दिनांक 24.5.1975 की पूर्ण रूप से जानकारी थी, क्योंकि उसी दिन वादी के नाम भी उसी आदेश से विरासत खुली जो प्रदर्श–13 से बखूबी सिद्ध है, बावजूद इसके वादी द्वारा कहीं भी विरासती नामांतरकरण को सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहीं भी उक्त बिन्दु को निर्णित नहीं किया गया जबकि वादी द्वारा उक्त विरासती नामांतरकरण को सक्षम न्यायालय में चुनौति दी जाकर निरस्त कराये बिना वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 199/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2021 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश कर कथन किया कि वादी के कब्जे एवं काश्त तथा खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम करकेडी, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में खेवट नया नम्बर 260 पुराना नम्बर 463 खसरा नम्बर 496 रकबा 2 बिस्वा गै0मु0 चाह एवं खसरा नम्बर 497 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा बारानी ए स्थित है और उक्त दोनों रकबा की कुल 6 बीघा 19 बिस्वा की आधा हिस्सा की 3 बीघा 9 1/2 बिस्वा कृषि भूमि पर वादी गत 60 वर्षो से भी ज्यादा समय से लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 496 एवं 497 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में संवत् 2022 से 2025 के अनुसार गुनजी शर्मा पुत्र शिवलाल 1/4 हिस्सा तथा मूलाराम पुत्र गंगाराम एवं छीतरमल पुत्र गंगाराम 3/4 हिस्सा बराबर जाति–ब्राह्मण, खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी एवं खातेदार छीतरमल शर्मा की मृत्यु होने के बाद उसके कानूनी वारिस पुत्र वादी बद्रीलाल शर्मा के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि दर्ज की गई थी। खातेदार काश्तकार गुनजी महाराज की मृत्यु हो गयी थी एवं खातेदार काश्तकार गुनजी महाराज नाऔलाद थे जिनके कोई वारिस नहीं था एवं गुनजी महाराज ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को पुत्र के रूप में विधिवत् गोद नहीं लिया था एवं गुनजी महाराज का अंतिम क्रियाकर्म एवं सामाजिक खर्चे आदि वादी बद्रीलाल के पिता स्व. श्री छीतरमल जी शर्मा एवं स्व. श्री मूलाराम जी शर्मा ने संयुक्त रूप से मिलकर वहन किये थे एवं खर्च किये थे। उक्त खसरा नं. 496 एवं 497 ग्राम करकेड़ी के अन्य खातेदार श्री मूलाराम जी शर्मा की मृत्यु होने पर खातेदार मूलाराम जी शर्मा के कानूनी वारिस पत्नी श्रीमती धापू देवी एवं पुत्र नृसिंह, राधेश्याम, शंकरलाल एवं नन्दा के नाम विरासत का नामान्तरण खोला गया था एवं मृतक खातेदार मूलाराम शर्मा की पत्नी एवं चार पुत्रगण बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किया गया था। खातेदार मृतक मूलाराम के कानूनी वारिस पुत्र श्री शंकरलाल खातेदार की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर मृतक शंकरलाल को अपने पिता मूलाराम से विरासत में प्राप्त उक्त खसरा नं. 496 एवं 497 ग्राम करकेड़ी की कृषि भूमि का नामान्तरण उसके कानूनी वारिस प्रतिवादीगण उसकी पत्नी प्रेम देवी, पवनकुमार, रेखा, मोना, आरजी, एवं पिंकी के नाम नामांतरण खोला गया था। श्रीमती धापू देवी की भी मृत्यु हो चुकी है। खातेदार स्व. श्री गुनजी पुत्र श्री शिवलाल जी जाति–शर्मा ने जीवनकाल में कभी भी शंकरलाल पुत्र श्री मूलाराम को गोद नहीं लिया था एवं शंकरलाल ने कभी भी स्व. गुनजी शर्मा के साथ उनके पुत्र के रूप में नहीं रहा था एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कभी भी गुनजी शर्मा ने श्री शंकरलाल को गोद नहीं लिया था एवं गुनजी शर्मा की देख–रेख एवं सार–संभाल वादी ने ही की थी एवं शंकरलाल ने कभी भी बतौर दत्तक पुत्र गुनजी शर्मा के जीवनकाल में प्रदर्शित नहीं किया है एवं शंकरलाल शर्मा द्वारा राजस्व अधिकारी के समक्ष अपने आपको स्व. श्री मूलाराम जी शर्मा का पुत्र होना बताकर स्व. मूलाराम शर्मा की खातेदारी काश्त की कृषि भूमि का बतौर वारिस पुत्र होना दर्शित करके अपने नाम विरासत नामान्तरण खुलवाया था और राजस्व अधिकारीयों से मिलिभगत कर अपने आपको गुनजी शर्मा का दत्तक पुत्र होना बताकर गुनजी शर्मा की कृषि भूमि बाबत् विरासत नामान्तरण गलत एवं अवैध तौर पर तथा कानून के विपरीत जाकर खुलवाया है जो गुनजी शर्मा की मृत्यु के बाद बतौर विरासत शंकरलाल शर्मा पुत्र मूलाराम शर्मा के नाम उक्त खसरा नं. 496 एवं 497 बाबत् तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा दिनांक 24.5.1975 को सलेमाबाद कैम्प में गुनजी शर्मा का विरासत नामान्तरण गलत खोलने के आदेश दिये हैं जो

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

आदेश अविधिक एवं शून्य होने के कारण निरस्त होने योग्य है इसी प्रकार प्रतिवादीगण प्रेम देवी, पवनकुमार, रेखा, मोना, आरती एवं पिंकी के नाम स्व. गुनजी शर्मा की खातेदारी की कृषि भूमि का विरासत नामान्तरण खोलने का आदेश गलत एवं अविधिक होने के कारण अपास्त होने योग्य है। स्व0 शंकरलाल ने अपने आपको स्व0 गुनजी शर्मा का दत्तक पुत्र होना बताकर राजस्व अधिकारीयों को गलत तथ्य बताकर एवं गलत घोषणा करके तथा गलत एवं अविधिक कार्यवाही करके अपने नाम उक्त गुनजी शर्मा का दत्तक पुत्र होना बताकर नामान्तरण खुलवाया है जो गलत एवं अविधिक है तथा स्व0 शंकरलाल एवं स्व0 शंकरलाल के वारिसान प्रतिवादीगण का उक्त गुनजी शर्मा के हक एवं अधिकार की खसरा नम्बर 496 एवं 497 की कृषि भूमि पर कब्जा नहीं रहा है एवं कभी भी काश्त नहीं की है। वादी एवं मूलाराम शर्मा के पुत्र प्रतिवादी नृसिंह प्रसाद शर्मा ने संयुक्त रूप से उपजिलाधीश किशनगढ़ को बंटवारानामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु दिनांक 10.6.1985 को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें वादी एवं प्रतिवादी ने स्पष्ट तौर पर सहमति एवं व्यवस्थां तथा बंटवारा करते हुए उक्त खसरा नम्बर 496 एवं 497 कुल रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि का आधा–आधा बंटवारा करते हुए 1/2 हिस्सा मूलाराम शर्मा एवं 1/2 हिस्सा छीतरमल शर्मा वादी के पिता के हक, हिस्से एवं अधिकार तथा काश्त के रूप में रिकार्ड में दर्ज करने तथा नक्शा में तरमीम करने हेतु प्रस्तुत किया था जिस पर उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ ने सम्बन्धित पटवारी को रिपोर्ट करने हेतु आदेश दिया था जिस पर सम्बन्धित पटवारी शफी मौहम्मद पटवारी करकेड़ी ने दिनांक 10.6.1985 को रिपोर्ट करते हुए बताया कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम है एवं प्रार्थीगण बंटवारा करना चाहते है एवं पटवारी द्वारा भी किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है एवं वादी तथा मूलाराम एवं उनके वारिसान के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं होने के कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त बंटवारा अमल दराज सहवन से नहीं हो सका था परंतु उक्त बंटवारा सहमति से प्रतिवादीगण विबंधित है। स्व0 गुनजी शर्मा एवं स्व0 श्री छीतरमल शर्मा तथा स्व0 मूलाराम शर्मा के पास स्थित 6 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि जो कि गावरियां नाढा के पास स्थित थी जिस कृषि भूमि को भी श्री गुनजी शर्मा ने मौखिक रूप से 50 वर्षो पूर्व ही पूराजी पुत्र बलदेव जाति जाट को बेचान कर प्रतिफल प्राप्त कर लिया था जिस बाबत वादी के पिता से भी श्री गुनजी शर्मा ने सहमति प्राप्त नहीं की थी एवं वादी के पिता नासमझ होने के कारण आपत्ति नहीं कर सके थे इस कारण राजस्व विभाग में प्रथम जमाबंदी में उक्त पूराजी जाट के नाम खाता संख्या 299 खसरा नम्बर 297 के रूप में ग्राम करकेडी के रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त प्रकार से वादी तथा वादी के पिता स्व0 श्री छीतरमल शर्मा उक्त विवादित खसरा नम्बर 496 एवं 497 के कुल रकबा के आधा हिस्सा की कृषि भूमि पर गत कई वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसमें प्रतिवादीगण ने कभी भी आपत्ति बाधा एवं उज्र उत्पन्न नहीं की थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट्स एवं राज्य सरकार प्रस्तुत किया।

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया। दावे एवं जवाब दावे के आधार पर कुल 3 तनकीयात कायम की गई तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से गवाह प्रस्तुत किए गए तथा दिनांक 26.2.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद डिक्री कर आदेश पारित कर यह अंकन किया गया कि **"ग्राम करकेडी के खसरा नम्बर 496 रकबा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 497 रकबा 6–17 बीघा भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।"**

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय तीन तनकीयों के आधार पर पारित किया गया जो इस प्रकार है –:

1. *आया खेवट खतौनी नम्बर 260 पुराना नम्बर 463 खसरा नम्बर 496 रकबा 2 बिस्वा गै0 मु0 चाह एवं खसरा नम्बर 497 रकबा 6–17–00 कुल रकबा 6–19–00 की आधा हिस्सा की 3–9–10 कृषि भूमि पर 60 वर्ष से ज्यादा समय से लगातार काबिज काश्त होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। (जिम्मे वादी)*

इस बाबत वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अधिनियम संबंधी न्याय निर्णय पेश किए इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को रेस्पोडेंट/वादी के पक्ष में निर्णित किया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श संख्या 1 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी व रेस्पोडेंट संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि का विभाजन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष संयुक्त रूप से दिनांक 10.6.1985 को प्रदर्श 1 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी व रेस्पोडेंट संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 496 व 497 की 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि को संयुक्त कब्जे काश्त ही होना स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया है। अतः इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्णय दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरूप किया गया है। जो उचित है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

2. *आया गुनजी पुत्र किशनलाल 1/4 हिस्सा मूलाराम पुत्र गंगाराम एवं छीतरमल पुत्र गंगाराम का 3/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वादी विवादित आराजी व चाह की 1/2 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 को इस प्रकार निर्णित किया गया प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पति/पिता श्री शंकरलाल अपने जाईन्दा पिता श्री मूलाराम की मृत्यु के बाद विधिक वारिसान की हैसियत से नामांतरकरण स्वीकृत कराता है तथा दूसरी और स्वयं को गुनजी का गोद पुत्र होने का कथन करता है जो विधि अनुसार मान्य नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दो पिता का पुत्र नहीं हो सकता है। इस प्रकार तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

हाजा न्यायालय द्वारा उक्त तनकी के संबंध में यह स्पष्ट है कि श्री शंकरलाल ने अपने जीवनकाल में श्री मूलाराम की मृत्यु के बाद स्वीकृत नामांतरण में स्वयं के नाम को हटाने बाबत सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जो एक स्वीकृत तथ्य है। श्री शंकरलाल द्वारा कार्यवाही नहीं करना यह दर्शित करता है कि वह वास्तव में श्री मूलाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

का ही जाइन्दा पुत्र है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 का निर्धारण भी उचित रूप से किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

3. *आया विवादित आराजी व चाह में राजस्व रिकार्ड में वादी का 3/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 3/8 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का /4 हिस्सा दर्ज होने से वादी विवादित आराजी व चाह की आधा हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादी)*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 का निर्णय इस आधार पर किया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने गुनजी के 1/4 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त बाबत तथा गुनजी के शंकरलाल के विधिक रूप से गोद जाने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं के साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं कराए गए। ऐसी स्थिति में वादी का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

हाजा न्यायालय का उक्त तनकी पर यह मत है कि स्व0 गुनजी ने अपने जीवनकाल में शंकरलाल को कभी गोद लिया हो ऐसा विधिक दस्तावेज अपीलांट्स द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और ना ही हाजा न्यायालय के समक्ष जिससे यह प्रतीत हो कि स्व0 गुनजी ने शंकरलाल को विधिक तरीके से अपने पुत्र के रूप में रजिस्टर्ड गोदनामे अनुसार गोद पुत्र के रूप में मान्यता दी हो। अतः तनकी संख्या 3 भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुरूप व न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार निर्णित की गई है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उपरोक्त तनकीयों का विस्तृत विवेचन करते हुए पारित किया गया है, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होने से उक्त अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 199/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

20/03/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

,Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि स्व0 शंकरलाल जाति ब्राहमण, निवासी करकेडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर व अन्य।

बनाम

बद्री शर्मा पुत्र स्व0 छीतरमल निवासी करकेडी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर हाल निवासी आजाद नगर 12 क्वार्टर के पास मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर व अन्य।

(अपील संख्या 133/2021 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ मुबर्खे 26 माह 02 सन् 2021 प्रकरण संख्या 199/2014 ब्रदी शर्मा बनाम नृसिंह वगैरह)

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

यह अपील ब तारीख 20 माह 03 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट,श्री योगेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01, श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेट संख्या 02 रेस्पों संख्या 03 से 09 व 11 से 13 अनुपस्थित, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:–अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 199/2014 में पारित निणर्य व डिक्री दिनांक 26.02.2021 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

दस्खत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 20 माह 03.सन् 2025 को जारी किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोट–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

Scanned with CamScanner